न्यायालय अति0 जिला कलक्टर करौली

पीठासीन अधिकारी सुरेश कुमार आर.ए.एस

मु0नं0 46/2018 तारीख रजू:– 19.12.2018

गिर्राज पुत्र श्रीलाल जाति मीना निवासी थूमा उप तहसील कुडगॉव तहसील सपोटरा जिला करौली :– अपीलान्ट

<u>बनाम</u>

राजस्थान सरकार जरिये नायव तहसीलदार कुडगॉव जिला करौली –रेस्पोडेन्ट

<u>अपील व नाराजगी निर्णय दिनांक 26.9.2018 न्यायालय नायव तहसीलदार कुडगॉव मुकदमा उनवानी सरकार बनाम गिर्राज मुकदमा नम्बर 9/018 तहत धारा 75 एल. आर.एक्ट</u>

<u>निर्णय</u> दिनांक 15.1.2019

संक्षिप्त मे प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्ट की ओर से यह अपील वकील अपीलान्ट ने पेश कर बताया गया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने खसरा नम्बर 303/03 रकवा 6 विस्वा ग्राम थूमा तहसील सपोटरा की गैरमुमकिन नाला भूमि पर अतिक्रमण मानते हुये। पैलन्टी वेदखली एवं सजा से दण्डित किया गया है जबकि इस भूमि पर अपीलान्ट द्वारा कभी भी किसी प्रकार का कब्जा नही किया गया है पटवारी हल्का के द्वारा जो रिपोर्ट पेश की गई है वह झूठी है अपीलान्ट किसी प्रकार प्रश्चातवर्ती अतिक्रमी की क्षेणी मे नही आता है। इस निर्णय की जानकारी अपीलान्ट को दिनांक 12.11.2018 को पुलिस का सिपाही के घर आने पर हुयी ततसमय निमानुसार नकल ली जाकर श्रीमान की सेवा मे वाद जानकारी अपील अन्दर म्याद मय दर्जा 5 अधिनियम प्रार्थना पत्र शपथ पत्र के साथ पेश है। अन्त मे अपील अपीलान्ट स्वीकार करने का निवेदन किया गया है।

अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिये नोटिस तलब करते हुये अधीनस्थ न्यायालय की मूल पत्रावली तलब कर शामिल पत्रावली की गई ।

बहस बकील अपीलान्ट व पैरोकार सरकार सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

वकील अपीलान्ट ने बहस करते हुये अपील मीमो के तथ्यो को दोहराते हुये कथन किया है कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 303/3 रकवा 6 विस्वा गैरमुमकिन नाला ग्राम थूमा तहसील सपोटरा पर कोई अतिक्रमण व कब्जा अपीलान्ट का नही है। साथ ही इस भूमि पर कभी भी कब्जा व अतिक्रमण भविष्य मे अपीलान्ट द्वारा नही करना कथन किया है। आज भी मौके पर अपीलान्ट का कब्जा व अतिक्रमण नही होना एवं इस बाबत अधीनस्थ न्यायालय मे अण्डर टेकिंग प्रस्तुत करने का निवेदन किया है। अन्त मे अपील अपीलान्ट स्वीकार किये जाने का कथन किया है।

पैरोकार सरकार का बहस मे कथन है कि अपीलान्ट पश्चातवर्ती अतिक्रमी है। अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

हमने वकील अपीलान्ट व पैरोकार सरकार की बहस का मनन किया तथा पत्रावली मे उपलब्ध रिकार्ड एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन करने पर पाया गया है। कि ग्राम थूमा तहसील सपोटरा पर अपीलान्ट द्वारा सम्बत 2075 खरिफ मे कब्जा व जौत

हस्तगत प्रकरण मे अपीलान्ट द्वारा प्रश्नगत आराजीयात से अतिचार हटा लिया है। और भविष्य मे कभी भी अतिचार नही करने का अभिकथन किया है तो हमारी सुविचारित राय मे सिविल जैसे कठोर कारावास की सजा को बनाये रखने का कोई औचित्य प्रतीत नही होता है। हम वकील अपीलान्ट के कथनो से सहमत है।

अतः अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। नायव तहसीलदार कुडगॉव तहसील सपौटरा जिला करौली का निर्णय दिनांक 26.9.2018 के तहत अपीलान्ट गिर्राज पुत्र श्रीलाल जाति मीना निवासी थूमा को दी गई 3 माह की सिविल कारावास की सजा को इस शर्त के साथ माफ किया जाता है कि यदि अपीलान्ट प्रश्नगत आराजी से अपना अतिचार हटा लेता है। और भविष्य मे भी किसी प्रकार का अतिचार नही करेगा इस आशय का शपथ पत्र नायव तहसीलदार कुडगॉव के न्यायालय मे उपस्थित होकर एक माह मे प्रस्तुत कर देता है। और नायव तहसीलदार कुडगॉव मौका निरीक्षण कर इससे संतुष्ट हो जाते है तो ही सिविल कारावास की सजा क्षम्य (माफ) रहेगी। अन्यथा अधीनस्थ न्यायालय नायव तहसीलदार कुडगॉव का निर्णय दिनांक 26.9.2018 यथावत रहेगा। वेदखली एवं शास्ति से सम्बन्धित आदेश यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रमाणित प्रति अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के साथ अधीनस्थ न्यायालय को वापिस भिजवाई जावे।

निर्णय आज दिनांक 15.1.2019 को खुले न्यायालय मे लिखाया जाकर सुनाया गया।

अति0 जिला कलक्टर
करौली